कृपया प्रकाशनार्थ **18 दिसंबर 2012**

तारापूर प्रकल्प पीडितों के पुनर्वास को लेकर न्यायालय ने ही किए सवाल

मुंबई, मंगलवार: तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पपीडितों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या-क्या काम किए, तथा उसके लिए नॅशनल पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कितने पैसे दिए, इसकी विस्तार से जानकारी देने का आदेश कल सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती अजय खानविलकर और न्यायमूर्ती रमेश धानुका के खंडपीठ ने दिया. इस याचिका की सुनवाई के समय प्रकल्प पीडितों के वकील एड. राजवी पाटील, याचिका में हस्तक्षेप करनेवाले पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक तथा महाराष्ट्र सरकार की ओर से एड. नितिन देशपांडे और न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से एड. राजेश कोठारी उपस्थित थे.

तारापूर प्रकल्प से 1,080 मैगेवॅट अणुऊर्जा निर्माण की जाती है. इस योजना के प्रकल्प पीडितों की रिट याचिका किए आठ साल हो गये, मगर अब भी पुनर्वास के काम पुरे नहीं हुए है, ऐसी प्रकल्पपीडितों की शिकायत है. 26 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद जो काम अब भी अधुरे है उनकी सूची 7 दिसंबर तक न्यायालय में देने का आदेश खंडपीठ ने दिया था. उसके बाद निम्नलिखित 11 विषयों के संदर्भ में उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया:- 1) दोषपूर्ण घरों की मरम्मत के लिए न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ने जिलाधिकारी को अब तक रु 11 करोड 49 लाख नहीं दिए हैं, साथ ही साथ जो 32 घर बारीश के दिनों में पुरी तरही पानी के निचे आते हैं, उनके बदले नये घर देना, 2) नयी बस्ती की सडकों को बँधवाने तथा मरम्मत तथा पक्की सडकों के लिए रु 3 करोड 40 लाख देना, 3) हर भूमिहीन परिवार को रु. 30,000/- का सानुग्रह अनुदान देना, 4) कुल 289 किसान हैं, इनमें से 112 किसानों को जमीन के बदले जमीन देना, 5) प्रकल्प पीडित परिवार को घर - किराये के लिए प्रति माह रु. 2,500/- देने का तय हुआ है. मगर अभी भी कुछ परिवारों को यह रकम नहीं दी गयी हैं, 6) सभी 1,250 परिवारों को पिने के लिए पानी, तथा योग्य दबाव से पानी देना, 7) नए अक्करपट्टी -पोफरण गाँवों की सीमाओं का रेखांकन होना चाहीए साथ ही साथ 98 हेक्टर जमीन से अतिक्रमण हटाना, ग्राम पंचायत की स्थापना कर पुनर्वास हुअी बस्तीओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करना, 8) प्रकल्पपीडितों को अपनी शिकायतें 'शिकायत निराकरण समिति' के सामने रखने का मौका मिलना चाहीए. साथ ही साथ समिति की शिफारिशों पर सरकार ने क्रियान्वयन करना चाहीए. इस समिति का काम तुरंत शुरु करने के लिए पिछले देढ वर्षों सें रिक्त पद पर अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए, 9) 438 मछुआरों के परिवारों का पुनर्वास करने के लिए हर परिवार को एक हेक्टर खेती की जमीन देना, 10) हर प्रकल्पपीडित परिवार से एक को नौकरी देना, 11) राष्ट्रीय पुनर्वास योजना 2003 तथा पुनर्रचित योजना 2007 के सभी लाभ इन प्रकल्प पीडितों को भी देना.

उपरोक्त सभी 11 मुद्दों की वर्तमान स्थिती क्या है इसके बारे में राज्य सरकार तथा न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी मिलकर विचारविमर्श करें और वर्तमान हालात के बारे में जानकारी देनेवाले प्रतिज्ञापत्र न्यायालय को पेश करें, ऐसा आदेश खंडपीठ ने दिया हैं. याचिका की अगली सुनवाई 10 जानवरी 2013 को होगी.

(कार्यालय मंत्री)